



अदीप भाग  
20 JUN 2005  
कोषाधिकारी, आगरा  
TRY



04DD 069362

किस्म दस्तावेज - बैनामा ।  
विश्रुत कीमत - 5,50,000/- रुपये ।  
लक्ष्म सार्वजनिक - 15,06,000/- रुपये ।  
लक्ष्म - 1,50,600/- रुपये ।  
तर्जिल रेट - 30,00,000/- रुपये प्रति हेक्टेयर ।

विश्रुत आराजी कृषि आराजी है और कृषि कार्य हेतु ही विक्रय की जा रही है और जो मुख्य मार्ग से एक कि०मी० से भी अधिक की दूरी पर स्थित है ।

विश्रेता:- श्री.मार्त अंगूरी देवी पत्नी स्व० श्री गिहारी लाल निवासी ग्राम बगदा तहसील व जिला आगरा ।

क्रेता:- मुस्कान बिल्डकोन प्रा० लि० एजि० कार्यालय हरौबाबाग नई दिल्ली द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि जसवीर सिंह पुत्र श्री महापौर सिंह निवासी गन्ना नगर फाउण्डरी नगर आगरा ।



अ.नं. श्रीमती अंगूरी देवी





अदीब भागव  
20 JUN 2005  
सोसाधिकारी, आगरा  
TRY

0400 069363

- 2 -

जोकि सकिता आराजी वाके मौजा बरौली अदीर तहसील व  
जिला आगरा खाता नम्बर 43 खसरा नम्बर 895-रकबा 0.5020 हे०  
लगानी ॥ रकबा 65 पैरे ताल वसुताधिक खातीनी 1408 फतली  
लगत्त 1413 फतली की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 28-4-05  
ई० कि जिके अनुसार में मुकिरा विदेता आराजी मजदूरावाला  
की बेगी (क।क) संग्रणीय भूमिधर मालिक शरबिज व दखील चली  
जातो हू और मेरा नाम जगजात सरकारी देहा में बहैतियत त्वाभी  
के दर्ज खाता जाता है जिकमें मुझ दिदेता के अभाव अन्य कोई साझी  
व जिम्मेदार किती प्रकार का नहीं है कि जो माने किती तरह के  
इन्तकाल वौरा का होवे और जो आज तक हर तरह के करये व वार  
व चार्ज व इन्तकाल व दावे व झगड़े व रहन व वै व हिस्से व भुजाहिदायै  
व रक्बुजीशन व रक्बुदेबिल मोरगेज व जमानत व कुडी व नालिश व  
नीलाम व तसत्त प्रकार की देनदारियों व जिम्मेदारियों आदि से  
कतई मुझरा पाक व तार है कि जिककर दिज्य करना वास्तु जरूरत बुद  
व जिम्मे माकूल व त्वाधिक कामत के त्वाकार है जिकमें तरातर कायदा  
मुझ विदेता का है कि जिसको देता हू माकूल नीमत अदा कर ज्य करने  
वै खामन्द है ।



अनुराग/मंरी/दी

अनुराग/मंरी/दी





महोदय  
जिला  
महाराष्ट्र

0400 069364

- 3 -

महाराष्ट्र में विद्येता अनन्त राजी व कुर्मी के बीच तोष व तमझकर जिला  
महाराष्ट्र व विद्याये व जिला द्वाय कितनी नजाराय के स्वतन्त्रचित्त  
न बुद्धि व इन्टिड के आरतजी गजबूतवाला विद्येता कुल को मय  
गुडमहदिल के वस्वज सुमलिन 5,50,000/- पांच लाख पचास हजार  
रुपया कि माधे जिसके 2,75,000/- दो लाख सियहतर हजार रुपया  
होते हैं वदस्त - मुम्तान शिखकोन प्रांति राजी कायलिय जरीतमान  
नई दिल्ली द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि यशवीर सिंह पुत्र श्री महावीर  
सिंह निवासी गणेशपुर साउण्डरी नगर आगरा जेता उक्त को पूर्ण  
आभित्य व त्यागित्य तहित विषय कतई को और देव ही और  
कीमत का कुल धन सुमलिन 5,50,000/- पांच लाख पचास हजार  
रुपया मुझ विद्येता ने जेता उक्त ने इत प्रकार बतल पालिये कि  
सुमलिन 50,300/- रुपया पहले ही प्राप्त कर लिये व सुमलिन  
5,00,000/- रुपया द्वारा बैंक नम्बरी 643004 दिनांक 21-6-2006  
ई० कि जो केनरा बैंक कलकानगर शाखा आगरा का है, के विधि  
भुगतान हो जाने के स्वयत्त प्राप्त कर लिया । इत प्रकार अब मुझ  
विद्येता को खरीदार उक्त के जीमत में कुछ पाना बची नहीं रहा है  
और न जायदा होगा ।

महोदय



अकाउंट्स/मि/अन्वरी/देवी



01DD 069365



- 4 -

लिहाजा कब्जा व दखल आराजी मुसैया विज्ञीत कुल में मुस विज्ञेता ने वहीतिपत त्वाणी के खरीदार का करा दिया और कतई मालिक काबिज व दखील बना दिया । अब खरीदार को आज ते हक व अधिकार है कि वह आराजी मुसैया विज्ञीत कुल में वहीतिपत त्वाणी के बाहें जित प्रकार ते लाभ उठावें उनमें कृषि कार्य करें या रहन व पै व बिदे व मुआहिदा पै आदि आदि जो चाहें सो करें और अपने नाम का इन्द्राज कागजात सरकारी देहा में जरिये कैनाम हाजा दर्ज करावें इसके लिये अन्य किसी सहमति व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी ।

मरा...

अनिष्टकरी मंशरी देवी



04DD 069366

- 5 -

अगर तानी जलहाल कोई वारिस या दावेदार कौमी या खानदानी कानूनों या वाक्याली या दीगर कोई किफालतदार कित्ती तरह का पैदा होकर कोई दावा व झगड़ा खरीदार उक्त से करे या उक्त त्वामित्व अधिकारों व उक्ते में बाधा डाले या कित्ती दीगर बजह से बच्चा गुज या कुल खरीदार से निकल जावे या कित्ती को कोई रकम अदा करनी पड़े या बैनामा हाजा में कोई कानूनी कमी पाह जावे तो सेती तमास्तूरतों में उक्तकुल की जवाबदेही व जिम्मेदारी तनहा मुझ दिफेता की व वारिसान व कायम मुकानान मेरों की है और होगी । उक्त समय खरीदार को अधिकार होगा कि वह कुल जरे

अमल कीली संकरी दी





पट्टीय भातें  
20 JUN 2015  
कोषाधिकारी, आगरा  
TRY

04DD 069367

- 6 -

तमन अपना मम सुद हरजा व खरचा आदि तहत मुझ विक्रेता की जस्त खास जायदाद मनकूला व गैरमनकूला हरकिस्म से चाहें जित प्रकार से वसूल करें कुछ उजर न होगा। आराजी मुवैया विहीन कुल की जमीन नजूल व राजकीय आस्थान की तस्यस्ति नहीं है और नाहीं किती वाद में अतिरिक्त रिक्त भूमि घोषित की गई है जितकी वाधत मुझ विक्रेता ने किती प्रकार का कोई मुआबजा आदि प्राप्त नहीं किया है। आराजी मुवैया कुल के विषय होने में क्रेता व विक्रेता अनुसूचित नाति व जतनाति के नहीं हैं।

अकाली अकाली अकाली डी

अकाली अकाली अकाली डी



- 7 -

महानिरीक्षक निबन्धन 3090 के आदेशानुसार भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 27(1) के अन्तर्गत यह घोषित किया है कि ऐसे सभी तथ्य एवं परिस्थितियाँ जो स्टाम्पदेयता को प्रमाणित कर सकते हैं पूर्णतया तत्पक्षपूर्वक अंकित कर दिये गये हैं।

आ. नि. ३०९०/२००५

21/6/05



- 8 -

लिहाजर यह बैनामा लिख दिया कि सन्त रहे और समय पर काम आये ।  
तहरीर तारीख 21-6-2005 ई० व मनोदा सुरेश चन्द्र अग्रवाल दस्तावेज  
लेखक निवासी 35/14, नौबस्ता लोहामण्डी अगारा व टाईपकर्ता  
वीरेश कुमार गोपल तंदर तहसील अगारा । दस्तावेज हाजा पञ्चारानों  
के निर्देशानुसार तहरीर व तकमील कर ठंका किया गया ।

अभिधीनो मयरी



अकार- सत्यमेव जयते १/०६/२००५  
ती० अफ कोली मरीर २००५

अकार- सुरेश चन्द्र १/०६/२००५  
ती० अफ काका का०५  
उद्दिष्टमेव

देख का नाम- सुरेश चन्द्र काकाका  
तारीख- १/०६/२००५  
आम- १/०६/२००५  
देख पुत्र- १/०६/२००५

अभिधीनो मयरी



2057 0-10-100



909 229  
 3175 246  
 21/6/05  
 25 नियन्त्रक दफ्तर  
 काका

*[Handwritten signature]*

15-12-1952

4-10-51

1. Yours truly

... ..

10

2944  
21/6/05

स्टाम्प प्रयोग की तिथि

स्टाम्प प्रयोग करने का प्रयोजन बैतान

स्टाम्प का नाम व पूरा पता संजय अग्रवाल

2943

स्टाम्प का धनराशि 100/-

संजय अग्रवाल

राष्ट्रसेवा नं 1

ला० की अवधि 31 मार्च 2006

सदर तहसील, बागरा

901 229  
246  
3175 21/6/05  
संजय अग्रवाल  
सदर तहसील, बागरा



संजय अग्रवाल  
सदर तहसील, बागरा

476/05

7-7-05